

11/10/2020

अभिलेख उपस्थापित। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। बंदोबस्तदार के द्वारा बंदोबस्ती से संबंधित कागजात इस कार्यालय में जमा किया गया है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से उक्त बंदोबस्त भूमि का अद्यतन प्रतिवेदन की मांग करें।

लेखापित
अंचल अधिकारी,
गोड्डासदर।

अंचल अधिकारी,
गोड्डा सदर।

15/10/2020

अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त। प्रतिवेदनानुसार मौजा डुमरिया थाना सं०-281 के गैरमजरूआ खाता सं०-94 के अंदर दाग सं०-204 कुल खतियानी रकवा 00-15-00 धूर एवं दाग सं० 711 कुल खतियानी रकवा 00-10-05 धूर किस्म परतीकदीम के रूप में गत सर्वे खतियान में अंकित है। इसी मौजा के पंजी 2 अवलोकन से पाया कि रकवा 01-05-05 धूर अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के बंदोबस्ती केश सं० 363/70-71 से अघनु रविदास पिता मूसहर रविदास ग्राम डुमरिया के नाम से खाता सं० 93/क में दर्ज है। जांच के कम में बंदोबस्तदार द्वारा उक्त बंदोबस्ती से संबंधित कागजात प्रस्तुत किया, जो इस पत्र के साथ संलग्न है। स्थलीय जांच में पाया कि उक्त बंदोबस्त भूमि पर बंदोबस्तदार / बंशज द्वारा जोत-कोड़ कर खेती किया जा रहा है। फोटो प्रति संलग्न। मुख्य सचिव झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक 04-स०भू०-(दिशा निर्देश) 95/2016 राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, राँची दिनांक 13.05.2016 के आलोक में संधारित अबैध/संदेहास्पद जमाबंदी वाद सं०- 25/2016-17 में वर्णित भूमि की बंदोबस्ती झारखण्ड सरकार राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक सं० 6144/रा० दिनांक 21.12.2017 एवं पत्रांक 06/भूमि का नियमितीकरण, 89/2020-1704/रा० दिनांक 15.07.2020 के आलोक में वैध प्रतीत होता है, जिसे नियमित करने की अनुशंसा किया है।

अतः संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदनानुसार संधारित अबैध/संदेहास्पद जमाबंदी को झारखण्ड सरकार राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 6144/रा० दिनांक 21.12.2017 तथा पत्रांक 06/भूमि का नियमितीकरण, 89/2020-1704/रा० दिनांक 15.07.2020 के आलोक में संचित कर बैध बंदोबस्ती एवं दखल कब्जा के आधार पर मौजा डुमरिया थाना सं०-281 के गैरमजरूआ खाता सं०-94 के अंदर दाग सं०-204 रकवा 00-15-00 धूर एवं दाग सं० 711 रकवा 00-10-05 धूर कुल रकवा 01-05-05 धूर किस्म परतीकदीम भूमि की अघनु रविदास पिता मूसहर रविदास ग्राम डुमरिया के नाम से खाता सं० 93/क में कायम जमाबंदी को नियमित किया जाता है।

अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है।

लेखापित
अंचल अधिकारी,
गोड्डासदर।

अंचल अधिकारी,
गोड्डा सदर।